FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. **District (जिला):** JAIPUR RURAL **P.S. (थाना):** PHULERA(JAIPUR RURAL) **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0232 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/09/2026 23:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
4	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
5	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
6	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
7	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
8	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	3
9	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	4

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 09/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 09/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

Scanned with OKEN Scanner

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई) Date (दिनांक): 11/09/2026 Time (समय): 22:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 028 Date & Time (दिनांक एवं समय) 11/09/2026 22:45:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1 (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): उत्तर - पश्चिम, 0.55 किमी Beat No. (बीट सं.) : फुलेरा ए

(b)Address(पता): phulera

(c)In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम):
District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Gajendra singh etc seven nafar

(b) Father's Name (पिता का नाम): Kan singh Shekhawat

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1984 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान सं.)

Scanned with OKEN Scanner

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Jagdamba colony, Phulera, PHULERA(JAIPUR RURAL), JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Jagdamba colony, Phulera, PHULERA(JAIPUR RURAL), JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9252718092

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Surendra barbar etc eight		पिता:Santlal	1. Pilani,Chidawa,CHIRAWA,JHUNJHUNU,RAJAST

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		63,00,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 63,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर लेक, जिला जयपुर फौजदारी परिवाद संख्या /2026 1. गजेंद्र सिंह शेखावत पुत्र श्री कान सिंह शेखावत उम्र 42 वर्ष, निवासी जगदंबा कॉलोनी, फुलेरा जयपुर, पिन कोड 303338, मो. 9252718092 2. इकबाल लखेरा पुत्र खाजू खान उम्र 38 वर्ष, निवासी - प्लॉट नंबर 5 जगदंबा कॉलोनी फुलेरा पिन कोड 303338 मो. 9829289597 3. छोटू राम चौधरी पुत्र श्री हनुमान लाल चौधरी उम्र 46 वर्ष

Scanned with OKEN Scanner

निवासी- ताल की ढाणी काचरोदा फुलेरा पिन कोड 303338 4. जितेंद्र कुमार मंडावरिया पुत्र श्री फूलचंद मंडावरिया उम्र 38 वर्ष निवासी 215 जीआरपी थाने के पीछे आदर्श रेगर बस्ती काचरोदा फुलेरा जयपुर, पिन कोड 303338 5. इंद्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी राजपूत का मोहल्ला 5, त्योद फुलेरा जयपुर राजस्थान पिन कोड 303604 6. अमरचंद बागड़ी पुत्र श्री पूसाराम बागड़ी उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 1 जानकीनगर जोबनेर रोड संस्कार कॉलेज के पास फुलेरा जयपुर पिनकोड 303338 7. पीयूष राज पुत्र श्री राम नारायण उम्र 45 वर्ष निवासी टांक भवन स्टेशन रोड गणगौरी बाजार फुलेरा पिन कोड 303338 परिवादीगण बनाम सुरेन्द्र बरबर पुत्र श्री संतलाल उम्र व्यस्क निवासी सूजडौला तहसील पीलानी वाया चिडावा, जिला झुन्झुनू (राज.) मो.न. 9530006300 2. एलन चौधरी उर्फ एलन उर्फ मेचु उर्फ इलेना पुत्र श्री रणवीर सिंह निवासी सुरजगढ, कुठोल कलां, जिला झुन्झुंनू (राज.) मो.न. 7222061000 3. संदीप सिंगर पुत्र श्री भागीरथमल निवासी बरवासी तहसील नवलगढ, जयसिंहपुरा, जिला झुन्झुनू (राज.) मो.न. 9799107600 4. रजत शर्मा पुत्र उर्फ राजेश कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार उम्र 46 वर्ष, निवासी 129, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर मो.न. 7568811177 5. रमन चौधरी रमन मेचू पुत्र श्रीकृष्ण सिंह निवासी सूरजगढ़, कुठोल कला जिला झुंझुनू (राज.) मो.न. 9882835911 6. विजय मौर्य पुत्र श्री भानाराम मौर्य उम्र 32 वर्ष, निवासी रैगर मौहल्ला, वार्ड नम्बर 4, झुन्झुनू (राज.) मो.न. 9887646647 7. ईश्वर वर्मा पुत्र श्री सांवर मल वर्मा उम्र 28 वर्ष, निवासी श्रीमालू का मौहल्ला वार्ड नम्बर 35, झुन्झुनू (राज.) मो.न. 9529310840 8. सुरेन्द्र सैनी पुत्र श्री हजारी लाल उम्र 28 वर्ष, निवासी बसेरी गोदा गुरुजी, बसेरी जिला झुन्झुनू (राज.)। अभियुक्तगण परिवाद अन्तर्गत धारा 210 बी.एन.एस.एस. अपराध अन्तर्गत धारा 61(2), 112(2), 316(2), 318(4) बी. एन.एस. एवं अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 3, 5, 21, 23 व इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी अधिनियम 1978) धारा 3 से 4 पुलिस थाना फुलेरा, जिला जयपुर ग्रामीण श्रीमान जी, परिवादीगण की ओर से परिवाद निम्न प्रकार पेश है- 1. यह कि परिवादीगण परिवाद पत्र में दर्ज शीर्षक पते पर बहैसियत निवास करते आ रहे है तथा अपना अपना कार्य शातिपूर्वक करते चले आ रहे है। 2. यह कि अभियुक्त संख्या 1 सुरेन्द्र बरबर जो की सुजडोला का पूर्व सरपंच रहा है और अक्सर फुलेरा आया जाया करता था, अभियुक्त संख्या 1 नें सर्वप्रथन परिवादीगण को फोरेक्स, किप्टो में ट्रेड कर अच्छी कमाई करने के बारे में बताया और कहा कि शेयर मार्केट में एक रशीयन कम्पनी है जो 2016 से कार्य कर रही है, जो वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य करते हुए प्रतिमाह 8 से 12 प्रतिशत तक प्रोफिट दे रही है, जो सीधे आपकी कम्पनी के वेलट में आयेगा कम्पनी का नाम XENO PORTFOLIO LTD (XPO.RU) है और कम्पनी के निवेश प्लेटफार्म के बारे में बताया और अपना कम्पनी का वॉलेट खोलकर करोडो का प्रोफिट बताते हुए करोडो रूपयें कमाने का लालच देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया। 3. यह कि अभियुक्त संख्या 1 सुरेन्द्र बरबर ने जनवरी 2023 में सर्वप्रथम किप्टो/फोरेक्स / इंडेक्स ट्रेडिंग के नाम पर फुलेरा में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें अभियुक्त संख्या 1 स्वयं उपस्थित रहा एंव अन्य अभियुक्त सख्या 2 ता 8 को ऑन लाईन माध्यम से सेमिनार में जोडा और उस सेमिनार में (XPO.RU) के बोर में बताते हुए 8 से 12 प्रतिशत प्रतिमाह लाभ का लालच दिया और कहा कि हम लोग जो कार्य करते है यह रशीयन कम्पनी है और हमारा रूसी संघ के साथ कॉन्टेक्ट है इसलिए हमारा सारा कार्य डालर में होता है ऑप लोगो जो भी निवेश करेगे तो हम आप की (XPO.RU) पर वॉलेट बनाकर आप द्वारा जो पैसा दिया जावेगा उस पैसे के बदले आप के वॉलैट पर डॉलर ट्रासफर कर देगे। जिससे आप कम्पनी की जिस भी स्कीम में लगायेगे उसमें आसानी से लग जावेगा और आपको प्रोफिट होना शुरू हो जावेगा और अभियुक्त संख्या 1 ने कहा कि जो भी ऑन लाईन मिटिंग ले रहे है ये सभी इस कम्पनी में बड़े शेयर होल्डर है और जब यह कम्पनी शुरू हुई तब से कम्पनी के साथ जुडे हुए है, सभी करोडो रूपये महिना कमा रहे है और हम सभी लोगो ने विदेश दुबई में आलिशान विला भी खरीद रखे है, जिनमें हम छुट्टीया बिताने जाते रहते है। 4. यह कि अभियुक्त संख्या 1 व अन्य अभियुक्तगण की बातों में आकर उस समय कुछ परिवादीगण ने अभियुक्त संख्या 1 से अपना (XPO.RU) बनाकर निवेश किया वह राशि अभियुक्त संख्या 1 को दी गयी वह परिवादीगण के वॉलेट पर डालर में दिखायी देने लगी जो 30 माह निवेश की स्कीम अभियुक्त संख्या 1 ने बतायी उस राशि की अभियुक्त संख्या 1 ने इडेक्स बना दी तथा परिवादीगण को हर माह 8 से 12 प्रतिशत वॉलेट में प्रोफिट दिखने लगा इन सभी को देखकर अन्य परिवादीगण भी अपनेअपने वॉलेट (XPO.RU) पर बनाना शुरू करवा

Scanned with OKEN Scanner

दिया और नेवश करना शुरू किया जो अब तक इस प्रकार रहा- गजेंद्र सिंह शेखावत के स्वयं व परिजनो के करीब 15 लाख से अधिक, इक़बाल खान के स्वयं व परिजनो के 2 लाख रूपये से अधिक, छोटू राम चौधरी के स्वयं व परिजनो के कुल 8,00,000/- रूपयें, जितेंद्र कुमार मंडावरिया के स्वयं व परिजनो के कुल 10,00,000/- रुपये से अधिक, इंद्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह के स्वयं व परिजनो के 7,00,000/- रूपये से अधिक, अमरचंद बागड़ी के स्वंय व परिजनो के 15,00,000/- रूपयें से अधिक, पीयूष राज पुत्र श्री नारायण के स्वयं व परिजनो के कुल 6,00,000/- इस प्रकार कुल 63,00,000/- रूपये का आरोपीगण ने शिकायतकर्तागण से फोड करके फरार हो गये। 5. यह कि परिवादीगण ने अपने अपने परिजनो व रिश्तेदारो को भी वॉलेट बनाकर लाखो रूपयो का निवेश अभियुक्तगण के कहने पर कर दिया था अभियुक्त संख्या 1 लगातार फुलेरा आकर बहुत सारे लोगो से निवेश करवाकर हजारो लोगो के लाखो रूपये निवेश करवाकर फरार हो गया। हजारो लोग उनके झांसे में निवेश करते चले गये तथा अभियुक्त संख्या 1 ता 8 लगातार विडियों कॉल मिटिंग से तथा सेमिनारो द्वारा निवेशको से जुडते रहे और (XPO.RU) में निवेश कर अच्छे प्रोफिट का लालच देकर निवेश करवाते रहै। 6. यह कि अभियुक्तगण ने संगठित षडयंत्र के तहत (XPO.RU) नामक ऑन लाईन प्लेट फार्म संचालित करते हुए किप्टो । इन्डेक्स / फोरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर निवेश योजना बनाकर परिवादीगण सहित हजारो निवेशको से 8 से 12 प्रतिशत मासिक गारण्टी रिटर्न का झूठा आश्वासन देते हुए निवेश के लिए प्रेरित किया तथा अभियुक्तगण ने उक्त प्लेटफार्मों को विदेशी (रुस आधारित) वैद्य अन्तराष्ट्रीय कम्पनिया बताकर स्वयं को अधिकृत प्रतिनिधि प्रमोटर के रूप में अपने आपको प्रस्तुत किया जबकि अभियुक्तगण फर्जी कम्पनी के संचालक, नियंत्रक व लाभार्थी निवेशको को भ्रमित करते हुए कूटरचित एवं भ्रामक दस्तावेजो का उपयोग करते हुए परिवादीगण के साथ धोखाधडी कारित की है। 7. यह कि अभियुक्तगण ने नकद ऑनल लाईन माध्यम से राशि प्राप्त कर (XPO.RU) प्लेट फार्म पर फर्जी डिजिटल बैलेंस प्रदर्शित किया तथा परिवादीगण को 8 से 12 प्रतिशत रिटर्न का झांसा दिया तथा निवेशको की राशि विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत लोक कर दी जाती थी और साप्ताहिक, दैनिक मासिक लाभ डिजिटल डॉलर के रूप में बैलेंस दिखाया जाता था, जबकि वास्तविकता में कोई ट्रेडिंग गतिविधि का संचालन नही हो रहा था, बल्कि डिजिटल आभासी लाभ दिखाकर निवेशको को भ्रमित किया गया व वर्तमान में मूलधन व लाभदोनो का भुगतान पूर्णतः बंद कर फरार हो गये जो दर्शा रहा है कि अभियुक्तगण शुरू से ही धोखाधडी कूटरचना कर लोगो से रुपयें ऐंठने के लिए इस तरह का प्लेट फार्म का निर्माण, कर परिवादीगण से सुनियोजित ठगी की है। 8. यह कि सभी परिवादीगण का लगभग 63 लाख रूपयें अपने व परिजनो के निवेश किया जिस राशि को लेकर अभियुक्तगण फरार हो गये और वर्तमान में सम्पर्क में नही है। 9. यह कि अभियुक्तगण ने बिना किसी भारतीय पंजीकरण अनुमति व वैद्य नियामकीय अनुपालन के अवैध रूप से धन संग्रह कर उन्हें किप्टो के माध्यम से विदेशो में स्थानान्तरित किया है, जो गंभीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है।10. यह कि अभियुक्तगण परिवादीगण को अपने आपको वित्तीय निवेशको को सलाहकार के रूप में प्रस्तुत कर परिवादीगण से बडे स्तर पर निवेश करने हेतु प्रेरित किया तथा निवेश राशि की सुरक्षित व गारटी दी व परोक्ष रूप से परिवादीगण से राशि ऐठकर उस राशि को लेकर फरार हो गये, जिससे परिवादीगण के परिवार पर गभीर आर्थिक संकट आ गया है परिवादीगण की जीवनभर की बचत समाप्त हो गयी, परिवादीगण मानसिक रूप से जीवन मजबुर हो रहे है। अभियुक्तगण का उक्त कृत्य धारा 61(2), 112(2), 316(2), 318 (4) बी.एन. एस. एवं अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 3, 5, 21, 23 व इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी अधिनियम 1978) धारा 3 व 4 की श्रेणी में आता है। 11. यह कि उक्त घटना के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर ग्रामीण को दिनांक 09.03.2026 को दी. लेकिन परिवादीगण की रिपोर्ट दर्ज नही की, तत्पश्चात एक लिखित रिपार्ट श्रीमान पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण जयपुर एवं श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना फुलेरा जिला जयुपर ग्रामीण को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 14.08.2026 को प्रेषित की लेकिन उसके बाद भी परिवादीगण की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही की, इसलिए श्रीमान जी के समक्ष यह परिवाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। 12. यह कि परिवादीगण फुलेरा जिला जयपुर के निवासी है और उक्त स्थान पर ही अभियुक्तगण आकर परिवादीगण से पैसे निवेश करवाये गये है जो स्थान पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर जयपुर के क्षेत्राधिकार में घटित होने के कारण श्रीमान न्यायालयको परिवाद पत्र सुनने व निस्तारण करने का

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्राधिकार विधि में प्राप्त है 13. यह कि परिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद पेश हैं। अतः परिवादीगण की ओर से परिवाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर परिवाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175 (3) के तहत पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर में भेजा जाकर एफ.आई.आर. दर्ज की जाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के आदेश फरमाने की कृपा करे। स्थान – साभर दिनांक 17/08/2026 परिवादीगण1.गजेन्द्र सिंह शेखावत 2. ईकबाल लखेर 3. छोटुराम चौधरी 4. जितेंद्र सिंह 5. इंद्र सिंह 6. अमरचन्द बागडी 7. पीयुष राज जरिये अधिवकता - महेश कुमार शर्मा एडवोकेट। ..... कार्यवाही पुलिस ..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त इस्तगासा धारा 175(3) बीएनएसएस का न्यायालय श्रीमान एमजेएम सांभरलेक से परिवादी गण श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री कानसिंह शेखावत जाति .. उम्र ..42 वर्ष निवासी जगदम्बा कॉलोनी फुलेरा पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर वगैरह परिवादीगण कुल नफर 07 का जरिये डाक वास्ते कायमी हेतु प्राप्त हुआ मजमून इस्तगासा से मामला अपराध धारा 318(4), 316(2),61(2) बीएनएस 2023 एवं अनियमित जमा योजना प्रतिबन्ध अधिनियम 2019 की धारा 3,5,21,23 व इनामी चिट फंड आैर धन परिचालन स्कीम (पाबंदी अधि.1978) की धारा 3,4, का पाया जाने पर तफ्तीश हेतु मन हीरालाल सैनी CI/SHO मशरुफ होता हूं इस्तगासा की नकल सी.सी.टी.एन.एस कम्प्यूटर पोर्टल पर फीड कर एफ.आई.आर. क्रमांक पृथक से देय होगें। एफ.आई.आर. प्रतियां नियमानुसार जारी की जावेगी।

13 Action taken **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):
Heera lal Saini (निरीक्षक) / **or (या)**

(2) Directed (Name of I.O.): Rank
(जाँच अधिकारी का नाम): (पद):
No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

Scanned with OKEN Scanner

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Hiralal Saini
Location: Rajasthan,IN
Date: 11/09/2026 23:02:11

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम):Heera lal Saini
Rank (पद): I (Inspector)
No(सं.):

Scanned with OKEN Scanner

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

Scanned with OKEN Scanner